न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 969 सन 2020

अनवान :–

1. चन्द्रकला पुत्री कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शारदा पुत्री कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कमला उर्फ कलवाती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 आर.पी.एम के खाता संख्या 151/149 की कुल 1.1890हैक एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 22/19 की कुल 2.1630हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता बलराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता बलराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान की हैसियत से विरास्तन से वाद भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि के अलावा अन्य चक 6 बारानी की भूमि का शामिल करते हुए भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 5 आरपीएम एवं चक 6 आरपीएम की भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकरी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की माता के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति बलराम के देहान्त होने पर दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि के अलावा अन्य चक की भूमियों को शामिल करते हुए भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर

आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में है बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 आर.पी.एम के खाता संख्या 151/149 की कुल 1.1890हैक एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 22/19 की कुल 2.1630हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता बलराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता बलराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान की हैसियत से विरास्तन से वाद भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि के अलावा अन्य चक 6 बारानी की भूमि का शामिल करते हुए भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 5 आरपीएम एवं चक 6 आरपीएम की भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकरी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 आर.पी.एम के खाता संख्या 151/149 की कुल 1.1890हैक एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 22/19 की कुल 2.1630हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के पिता बलराम के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पास अन्य 6 बारानी में भी भूमि है।

वादीयान का कथन है वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि एवं चक 6 बारानी की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीयान को प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त में है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीयान के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीयान की माता व भाई है ने स्वीकार किया जाकर

निवेदन किया की वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात वाद भूमि वादीयान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 आर.पी.एम के खाता संख्या 151/149 की कुल 1.1890हैक एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 22/19 की कुल 2.1630हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/2/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चन्द्रकला पुत्री कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शारदा पुत्री कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कमला उर्फ कलवाती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र कमला उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 969 सन 2020 निर्णय दिनांक– 23/2/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 आर.पी.एम के खाता संख्या 151/149 की कुल 1.1890हैक एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 22/19 की कुल 2.1630हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीयान की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/2/२०२१ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)